रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2015/ज्येष्ठ 1, 1937
No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2015/JYAISTHA 1, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 19 मई, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 शीर्षक दिनांक 17 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. भा.वि.वि.प्रा./विनियम/2/92/2015 का शुद्धिपत्र

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/6/96/2015.– यतः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. बी.वि.वि.प्रा/विनियम/2/92/2015 के अनुसार जारी किये तथा उन्हें 17 मार्च, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया।

प्राधिकरण इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 (इसमें इसके बाद विनियम के रूप में उल्लिखित) में संशोधनों के संबंध में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी करता है :

1. विनियमों के प्रारंभिक पैरा / आमुख में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पहले आने वाले शब्द "भारतीय" को हटाया जाएगा।
2. विनियम 2 (ख) में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पहले आने वाले शब्द "भारतीय" को हटाया जाएगा।
3. विनियम 12 के विद्यमान उप-विनियम/खंड (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

   "सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के अंतर्गत सूक्ष्म-बीमा एजेंटों को छोड़कर अन्य बीमा एजेंटों और पंजीकृत बीमा मध्यवर्तियों को देय पारिश्रमिक संबंधित प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों/ समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम,1938 के उपबंधों के अनुसार होगा।"
4. अनुसूची I में, सारणी के नीचे क्रम संख्या i के अंतर्गत विद्यमान वाक्य निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

   "फसल बीमा के अंतर्गत बीमित राशि की अधिकतम सीमाओं की गणना प्रति मौसम/प्रति फसल के आधार पर की जानी चाहिए।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/ असा./161/15 (61)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 19th May, 2015

Corrigendum to notification no. IRDA/Reg/2/92/2015 dated 17th March, 2015 titled as Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015

F. No. IRDA/Reg/6/96/2015.—Whereas the Authority, in exercise of the powers conferred by section 114A(1) of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, in consultation with the Insurance Advisory Committee, issued and published Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015 vide notification no. IRDA/Reg/2/92/2015 on 17th March, 2015 in the Gazette of India.

The Authority hereby issues corrigendum in respect of corrections in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as Regulations) as under:

1. In the introductory para /preamble of the Regulations, the words "of India" appearing after Insurance Regulatory and Development Authority shall be deleted.
2. In Regulation 2 (b) the words "of India" appearing after Insurance Regulatory and Development Authority shall be deleted.
3. The existing sub-regulation/clause(4) of Regulation 12 shall be substituted by the following:

   "The remuneration under Micro Insurance Products payable to Insurance Agents and to registered Insurance Intermediaries other than the Micro Insurance Agents shall be in accordance to the provisions of the respective applicable Regulations/provisions of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time."
4. In Schedule I, the sentence below the table under sr. no.**i**, shall be substituted by the following:

   "Maximum Sum Assured limits under Crop Insurance to be reckoned on per season/per crop basis" .

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.III/4/ Exty./161/15(61)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.